

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई**भिलाई निगम की स्वावलंबन एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची जारी**

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत 25 दुकान एवं 08 चबूतरा तथा महिला समृद्धि बाजार योजना के अंतर्गत 06 दुकानों का योजनावार विभिन्न स्थलों पर रिक्त दुकानों का संवर्गवार लॉटरी के माध्यम से किरायेदारी पर आबंटन किया जाना है। इसके लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

निगम द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 30 जून 2026 रखी गई थी। निर्धारित तिथि तक पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण निगम प्रशासन द्वारा आवेदन की तिथि में वृद्धि करते हुए 25 जुलाई 2026 तक कर दिया गया था। विस्तारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदनों की सूची दावापति के लिए निगम मुख्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है। निगम प्रशासन ने संबंधित आवेदकों से अपील की है कि वे निगम मुख्य कार्यालय पहुंचकर सूचना पटल पर अपना नाम एवं आवेदन संबंधी विवरण देख लें। यदि किसी आवेदक को सूची में दर्ज जानकारी के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना हो तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावापति प्रस्तुत कर सकता है। दावापति की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र आवेदकों के मध्य नियमानुसार संवर्गवार लॉटरी के माध्यम से दुकानों एवं चबूतरों का किरायेदारी पर आबंटन किया जाएगा।

निगम प्रशासन ने सभी आवेदकों से अपील की है कि वे समय पर सूचना पटल का अवलोकन कर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें ताकि आगामी आबंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

संलग्न.फोटो

जनसम्पर्क अधिकारी